जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय) कुशीनगर।

पत्रांकः 1066 /जि0नि0का0–पं0न0नि0/डाटा फीडिंग/2026 दिनाँक 12 फरवरी, 2026

कारण बताओ नोटिस

श्री मोहन सिंह,
सहायक विकास अधिकारी (पंचायत),
विकास खण्ड नेबुआ नौरंगिया, कुशीनगर।

उप जिलाधिकारी के पत्र संख्या–768/रा0का0निर्वा0–2025 दिनांक 09 फरवरी, 2026 द्वारा अवगत कराया गया है कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन–2025–26 में संभावित डुप्लीकेट मतदाताओं की बी0एल0ओ0 द्वारा जॉचोपरान्त SDM/AERO Login ID से राज्य निर्वाचन आयोग के वेबसाइट पर शतप्रतिशत फीडिंग करायें जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं, इस सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी खड्डा द्वारा आपको बार–बार बी0एल0ओ0 द्वारा सत्यापित अनन्तिम डुप्लीकेट मतदाता सूचियों को प्राप्त करना तथा फीडिंग में सहयोग करने हेतु निर्देशित किया गया है। परन्तु आप द्वारा इस कार्य में कोई सहयोग नहीं किया जा रहा है।

2–दिनांक 11–02–2026 तक आपके विकास खण्ड नेबुआ नौरंगिया में कुल 76133 संभावित डुप्लीकेट मतदाताओं के सापेक्ष केवल 39685 डुप्लीकेट मतदाताओं का बी0एल0ओ0 द्वारा सत्यापन की सूचना उपलब्ध करायी गयी है। 76133 संभावित डुप्लीकेट मतदाताओं के सापेक्ष केवल 7888 संभावित डुप्लीकेट मतदाताओं को SDM/AERO Login ID के माध्यम से फीडिंग की कार्यवाही पूर्ण की गयी है। शतप्रतिशत फीडिंग का कार्य दिनांक 20–02–2026 तक पूर्ण किया जाना है।

3–आपके विकास खण्ड नेबुआ नौरंगिया में आप द्वारा इस कार्य में रूचि न लेने व उप जिलाधिकारी खड्डा के आदेशों का अनुपालन व सहयोग न करने के कारण बी0एल0ओ0 द्वारा सत्यापन व डुप्लीकेट मतदाताओं की फीडिंग का कार्य अत्यन्त ही धीमीगति से होने के कारण प्रदेश स्तर पर जनपद की स्थिति असंतोषजनक बनी हुयी है, जिस पर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा असंतोष व्यक्त किया जा रहा है।

4–इस सम्बन्ध में प्रभारी अधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय) द्वारा प्रतिदिन वीडियो कांफ्रेंसिंग कर फीडिंग कार्य को समय से पूर्ण करायें जाने हेतु समुचित दिशा निर्देश दिया जा रहा है, परन्तु आप द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है।

अतः इस सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी को अपना स्पष्टीकरण 03 दिवस के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। स्पष्टीकरण संतोषजनक व समय से उपलब्ध न करायें जाने की दशा में उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम–1947 की धारा 12 ख घ के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

जिला मजिस्ट्रेट/
जिला निर्वाचन अधिकारी(पं0एवं न0नि0),
कुशीनगर।

पत्रांकः /तददिनांक।

प्रतिलिपिः– **निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।**

1– उपायुक्त/विभागाध्यक्ष, राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
2– मुख्य विकास अधिकारी, कुशीनगर।
3– उप जिलाधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, खड्डा, कुशीनगर।
4– खण्ड विकास अधिकारी, नेबुआ नौरंगिया, कुशीनगर।
5– जिला पंचायत राज अधिकारी, कुशीनगर।

जिला मजिस्ट्रेट/
जिला निर्वाचन अधिकारी(पं0एवं न0नि0),
कुशीनगर।

Scanned with CamScanner